झारखण्ड विधान सभा

अल्प सूचित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा
पंचम (बजट) सत्र
वर्ग–05

28 फाल्गुन,1937 (श0)
निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न, शुक्रवार, दिनांक———————————को
18 मार्च, 2016 (ई0)

झारखण्ड विधान सभा के आदेश– पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्र0 सं0	विभागों को भेजी गई सां सं0	सदस्य का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागो को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
212.	अ0सू0–47	श्री बिरंची नारायण	स्थानीय उद्योगपतियों को विशेष छुट	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	11.03.2016
213.	अ0सू0–30	श्रीमती विमला प्रधान	सृजित पदों पर बहाली	स्वा0 चि0 शिक्षा एवं परिवार कल्याण	29.02.2016
214.	अ0सू0–32	श्री अरूप चटर्जी	भूमिहीनों को भूमि दिलाना	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	29.02.2016
215.	अ0सू0–45	श्री प्रदीप यादव	न्यायोचित कार्रवाई	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	05.03.2016
216	अ0सू0–36	श्री सुखदेव भगत	खून जाँच की दर में वृद्धि लाना	स्वा0चि0 शिक्षा एवं परिवार कल्याण	02.03.2016
217.	अ0सू0–49	श्री बादल	अवैध भुगतान की वसूली	स्वा0चि0 शिक्षा एवं परिवार कल्याण	11.03.2016
218.	अ0सू0–43	श्री राधाकृष्ण किशोर	भूमि का वितरण	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	05.03.2016

219. अ0सू0–39	श्री प्रदीप यादव	दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई	स्वा0चि0 शिक्षा एवं परिवार कल्याण	03.03.2016
220. अ0सू0–48	श्री बिरंची नारायण	मुआवजा राशि का भुगतान	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	11.03.2016

रांची
दिनांक–18 मार्च,2016 (ई0)।

बिनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या–प्रश्न–07 / 2015–2215 / वि0स0,रांची,दिनांक– 15/03/16

प्रतिलिपि :– झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/ मुख्यमंत्री/ मंत्रीगण/मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ प्रेषित।

सुरेश रजक 15/3/16
(सुरेश रजक)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,रांची।

ज्ञाप संख्या–प्रश्न–07 / 2015–2215 / वि0स0,रांची,दिनांक– 15/03/16

प्रतिलिपि :– अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

सुरेश रजक 15/3/16
(सुरेश रजक)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,रांची।

ज्ञाप संख्या–प्रश्न–07 / 2015–2215 / वि0स0,रांची,दिनांक– 15/03/16

प्रतिलिपि :– कार्यवाही शाखा, बेवसाईट शाखा, ऑनलाईन शाखा एवं आश्वासन शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

15/3/16
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,रांची।

15/03/16

बहादुर/

श्री बिरंची नारायण, माननीय स.वि.स. द्वारा दिनांक–18.03.2016 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ.सू.–47 का प्रश्नोत्तर :–

212

	प्रश्न	उत्तर
	श्री बिरंची नारायण माननीय स.वि.स.	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि सरकार ने राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने और इंडस्ट्री स्थापित करने हेतु बड़े निवेशकों के लिए लैंड बैंक की स्थापना विभिन्न जिलों में की है,	आंशिक स्वीकारात्मक। सरकार ने राज्य में जन कल्याणकारी योजनाओं एवं उद्योगों को बढ़ावा देने और उद्योग स्थापित करने हेतु इच्छुक निवेशकों के लिए लैंड बैंक की स्थापना सभी 24 जिलों में की है। लैंड बैंक अंतर्गत गैर मजरूआ खास– 851947.708 एकड़, गैरमजरूआ आम– 229345.43 एकड़, गैर मजरूआ जंगल–झाड़ी–1006072.83 एकड़ एवं सरकारी विभागों का अनुपयोजित भूमि– 7173.23 एकड़ अर्थात कुल– 2101471.99 एकड़ भूमि उपलब्ध है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त लैंड बैंक से उद्योगपतियों को राज्य में इंडस्ट्री स्थापित करने में लाभ होगा और राज्य में उद्योग को बढ़ावा मिलने के साथ–साथ बेरोजगारी, पलायन, गरीबी जैसी जनसमस्याओं में कमी आएगी तथा मेक इन झारखण्ड का सपना साकार होगा,	स्वीकारात्मक। सरकारी प्रयोजनों/उद्योगों/निवेशकों के लिए भूमि संबंधी जानकारी प्राप्त हो एवं उन्हें यथोचित जगह पर तुरन्त एवं आसानी से भूमि उपलब्ध कराया जा सके। इसके लिए ही लैंड बैंक का स्थापना किया गया है। उद्योगों एवं निवेशकों को आकर्षित करने के लिए लैंड बैंक से संबंधित आंकड़े संबंधित जिले के वेबसाईट एवं राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के वेबसाईट www.jharbhoomi.nic.in पर उपलब्ध कराया गया है तथा लैंड बैंक के सफल कार्यान्वयन हेतु राज्य स्तरीय नोडल पदाधिकारी एवं जिला स्तरीय नोडल पदाधिकारियों का नाम, दूरभाष सं. एवं ई–मेल पता वेबसाईट पर उपलब्ध है। भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित होने से सभी तरह के जनकल्याणकारी योजनाओं से संबंधित उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा तथा राज्य का आर्थिक विकास होगा एवं बेरोजगारी, पलायन एवं गरीबी जैसी समस्याओं में निश्चित रूप से कमी आएगी और विकसित झारखण्ड का सपना साकार होगा।
3.	यदि उपर्युक्त खण्ड़ों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बड़े उद्योगपतियों के साथ–साथ स्थानीय, छोटे, मध्यम उद्योगपतियों, SHG एवं अन्य संस्थाओं को भी राज्य में लघु, कुटीर अथवा बड़े उद्योग लगाने हेतु उक्त लैंड बैंक में से जमीन (बोकारो, राँची सहित) आवंटित करने तथा स्थानीय उद्योगपतियों को उक्त योजना में विशेष छुट प्रदान करने का विचार रखती है यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका–1 एवं 2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। सरकार उद्यमियों को राजस्व विभागीय प्रावधान/नियम/परिपत्रों के आलोक में 'लैंड बैंक' से भूमि की उपलब्धता हेतु कार्यशील है। उद्योग विभाग के द्वारा भी विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र प्राधिकारों के अन्तर्गत भी उद्यमियों को भूमि उपलब्ध कराने हेतु कार्यवाही की जाती है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–5 / स.भू.वि.स.(अ.सू.)–59 / 2016...1101.....(5) / रा., राँची, दिनांक–16-03-16

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञाप सं. प्र.–2181 / वि.स., दिनांक–11.03.2016 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची / सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची / मा0 मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची / विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/3/16

सरकार के संयुक्त सचिव

213

श्रीमती विमला प्रधान, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 18.03.2016 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या अ0सू0–30 का उत्तर सामग्री।

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा राज्य के 18 सदर अस्पतालों में तृतीय श्रेणी के 1900 पदों का सृजन कर बहाली करने जा रही है ;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। 18 सदर अस्पतालों के लिए तृतीय श्रेणी के कुल 1159 नर्सिंग एवं पारा मेडिकल कर्मियों के अतिरिक्त पदों का सृजन प्रक्रियाधीन है। पद सृजन के बाद नियमानुसार बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी।
2.	क्या यह बात सही है कि सिमडेगा, गुमला, देवघर, सरायकेला–खरसावां, चतरा, साहिबगंज, पाकुड़, लोहरदगा, लातेहार, कोडरमा, जामताड़ा, गोड्डा, गिरिडीह, गढ़वा, खूंटी, रामगढ़, बोकारो, एवं जमशेदपुर सदर अस्पताल में 244 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के पद 2015 नवम्बर माह में सृजित किये गये थे और इन पदों पर बहाली नहीं की गयी है जबकि उपरोक्त सदर अस्पतालों में डॉक्टरों एवं कर्मचारियों के नहीं रहने से आम जनता को सुविधा उपलब्ध नहीं पो रही है ;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। विभागीय संकल्प संख्या 1431 (3) दिनांक 30.11.15 द्वारा 18 सदर अस्पतालों में 244 गैर शैक्षणिक चिकित्सक एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों के अतिरिक्त पदों का सृजन किया गया है। सम्प्रति इन सदर अस्पतालों में पदस्थापित चिकित्सकों एवं पारा चिकित्सा कर्मियों द्वारा आम जनता का चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराया जा रहा है।
3.	यदि उपुर्यक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपरोक्त जिलों में सृजित पदों पर बहाली करना चाहती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों?	विभागीय पत्रांक 960 (3) दिनांक 28.07.15 द्वारा विशेषज्ञ चिकित्सकों के 654 पदों पर नियुक्ति हेतु झारखण्ड लोक सेवा आयोग को अधियाचना प्रेषित की गई थी जिसके विरूद्ध 162 उम्मीदवारों को चयनित कर अनुशंसित किया गया है। इन्हें नियुक्त करने की कार्रवाई अंतिम चरण में है। तृतीय श्रेणी के पद सृजन के उपरान्त नियमानुसार बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0– 3/वि0 स0–03–19/2016 280 (3) राँची, दिनांक: 17/3/16

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 1749/वि0स0 दिनांक 29.02.2016 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/3/2016

सरकार के उप सचिव

श्री अरूप चटर्जी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–18.03.2016 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या– 32 का प्रश्नोत्तर।

क्र0	प्रश्न		उत्तर
	श्री अरूप चटर्जी, माननीय स0वि0स0		माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य के हिस्से भूदान की 9,80,545 एकड़ भूमि है जिसके संरक्षण और वितरण का जिम्मा भूदान एक्ट के मुताबिक भूदान यज्ञ कमेटी को है;		आंशिक स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित भूदानयश कमेटी गठन करने का अधिकार सर्व सेवा संघ को भूदान एक्ट के तहत है और सर्व सेवा संघ ने भूदान यज्ञ कमेटी गठित कर एक प्रतिवेदन सरकार को अधिसूचना जारी करने हेतु वर्ष 2014 में भेजा गया था जिसे दिनांक–24.02.2016 तक भी जारी नहीं किया गया है ;		आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुतः झारखण्ड राज्यान्तर्गत भूदान यज्ञ कमिटी के कार्य संचालन हेतु विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक–5387/रा0, दिनांक–28.11.2002 के तहत् अध्यक्ष सहित कुल छः सदस्यों की नियुक्ति/मनोनयन के पश्चात् सरकार स्तर पर समीक्षोपरान्त विभागीय अधिसूचना सं0–1411/रा0, दिनांक–03.05.05 के द्वारा तत्कालीन कमिटी के बर्खास्तगी के बाद सम्प्रति W.P(PIL) No.-3290/2014 राधा देवी–बनाम्–झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, राँची द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक–09.12.2015 के आलोक में भूदान भूमि का शुद्धिपत्र निर्गमन/निष्पादन/अनुश्रवण एवं सशक्त कार्यान्वयन हेतु सभी जिलों के उपायुक्त, प्रत्येक जिले के प्रधान जिला न्यायाधीश (जो जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पदेन अध्यक्ष है), सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार एवं प्रत्येक जिले के उपायुक्त द्वारा मनोनीत पदाधिकारी की सदस्यता में एक कमिटी का गठन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
3.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–2 के कारण राज्य के 15 लाख भूमिहीन परिवारों को भूमि नहीं मिल पा रहा है ;		W.P(PIL) No.-3290/2014 राधा देवी–बनाम्– झारखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित न्यायादेश के अनुपालन में कमिटी के गठनोपरांत भूमि वितरण की सम्यक कार्रवाई की जा सकेगी।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त विषयों से सम्बन्धित खण्ड–2 के अधार पर अधिसूचना जारी कर भूमिहीनों को भूमि दिलाने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		उपर्युक्त कण्डिका 2 एव 3 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांकः–6/वि0स0 (अ0सू0) –59/16 880 (6)/रा0 दिनांक– 03-03-16

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या–1743/वि0स0, दिनांक–29.02.16 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/3/16

सरकार के संयुक्त सचिव

215

श्री प्रदीप यादव, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–18.03.2016 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न सं0– अ.सू.–45 का प्रश्नोत्तर

प्रश्न		उत्तर
श्री प्रदीप यादव, माननीय स.वि.स.		माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1. क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिला में जिंदल स्टील एण्ड पावर लिमिटेड को भू–अर्जन अधिकार अधिनियम, 2013 के अनुसार भूमि का मूल्यांकन दर स्थानीय उपायुक्त द्वारा दिनांक–25.06.2014 को घोषित किया गया है।		अस्वीकारात्मक। इस पत्र में दर की घोषणा नहीं की गई थी, मात्र जिला भू–अर्जन कार्यालय, गोड्डा के पत्रांक–199/भू.अ., दिनांक–25.06.2014 के द्वारा उपायुक्त, गोड्डा द्वारा मूल्यांकन दर की गणना कर अनुमोदन हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड को भेजा गया था, कालांतर में उक्त पत्र में अंकित गणना का पुनर्समीक्षा की जा रही है।
2. क्या यह बात सही है कि घोषित दर पर रैयतों का अब तक भुगतान न होने के कारण स्थानीय लोगों में विरोध है।		अस्वीकारात्मक। मौजा–निपनियाँ वारिसटांड़ एवं जलगर में रैयतों को दिनांक–11.05.2012 द्वारा निर्धारित मूल्यांकन दर पर भुगतान किया गया है। कुछ रैयतों का वंशावली विवाद रहने के कारण भुगतान लंबित है।
3. क्या यह बात सही है कि बिना रैयातें के देय भुगतान के ही प्रशासन ने बलपूर्वक रैयतों की जमीन जिंदल कम्पनी के कब्जे में देकर काम प्रारंभ करा दिया है।		मौजा–निपनियाँ एवं वारिसटांड के 80 प्रतिशत रैयातें को तत्कालिक लागु दर पर भुगतान कर दखल देहानी दे दिया गया है।
4. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार न्यायोचित कार्रवाई करना चाहती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		लागू नहीं।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, राँची।

ज्ञापांक–08ए./भू.अ.नि. वि.स. (अ.सू.)–54/2016 199 (08ए.)/रा., दिनांक–17-03-16

प्रतिलिपि :–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0–2037/वि.स., दिनांक–05.03.16 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

17/3/2016

सरकार के उप सचिव सह
उप निदेशक

Vidhan sabha (lalit)

216

श्री सुखदेव भगत, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 18.03.2016 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या स–36 का उत्तर सामग्री।

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में खून जाँच की सलाना दर वर्ष 2014 की तुलना में वर्ष 2015 में 9.72 से घटकर 3.97 हो गई है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। वर्ष 2014 में मलेरिया के लिए रक्त पट्ट जांच की दर 9.72 प्रतिशत था, तथा वर्ष 2015 में यह दर 5.71 प्रतिशत था।
2.	यदि उपुर्यक्त प्रश्न खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खून जाँच के दर में आवश्यक वृद्धि लाने का विचार रखती है। यदि हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	रक्त पट्ट जांच की दर बढ़ाने हेतु ए0एन0एम0 को निदेशित किया गया है। गांवों की सहिया को रक्त पट्ट संग्रह करने तथा रैपिड डायाग्नॉस्टिक टेस्ट किट से मलेरिया की जांच हेतु प्रशिक्षण दिया गया है। मिशन अस्पताल, गैर सरकारी अस्पतालों एवं फेथ बेस्ड ऑर्गनाईजेशन को भी मलेरिया के लिए रक्त जांच एवं उपचार हेतु समन्वय स्थापित कर कार्य कराया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0– 21 / वि0 स0–06–36 / 2016–93(21) राँची, दिनांकः 17-03-16

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 1937 / वि0स0 दिनांक 02.03.2016 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/3/16
सरकार के उप सचिव

217 468 16.3.16

श्री बादल, माननीय सदस्य विधानसभा द्वारा दिनांक–18.03.2016 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–49 का निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण(प्रशिक्षण पक्ष) का उत्तर सामग्री –

क0	**प्रश्नकर्त्ता** श्री बादल, माननीय सदस्य, विधान सभा।	**उत्तरदाता** श्री राज पालिवार, माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखंड सरकार
1	2	3
1.	क्या यह बात सही है कि कौशल विकास योजनान्तर्गत प्रोवाईडर(वी0टी0पी0) के द्वारा राज्य के युवक–युवतियों को लघु अवधि का प्रशिक्षण दिया जाता है,	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य में कौशल विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष–2012–13 से अब तक 11 करोड़ रुपये की फर्जी भुगतान किया गया है।	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।
3.	क्या यह बात सही है कि कौशल विकास येाजना में अनियमित्ता के कारण 70 वी0टी0पी0 के 19 करोड़ रुपये का भुगतान पर रोक लगाया गया है,	उत्तर स्वीकारात्मक है।
4.	यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकारी फर्जी भुगतान के लिये दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने एवं अवैध भुगतान की वसूली करने का विचार रखती है, यदि हॉ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	VTP के कार्यकम के अन्तर्गत उत्थान इन्स्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, रॉची को फर्जी तरीके से छात्रों को प्रशिक्षण दिलाकर लगभग 13.00 लाख का भुगतान प्राप्त कर लिया गया है जिसके संबंध में उक्त संस्था पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है। फर्जी भुगतान की राशि की वसूली के लिए certificate case भी दर्ज किया गया है। उपायुक्तों से विभिन्न जिलों में अवस्थित VTP के संबंध में जॉच करायी जा रही है। विभागीय स्तर पर भी VTP को किये गए भुगतान की जॉच की जा रही है। फर्जी भुगतान करने वाले दोषी अधिकारियों को चिन्हित कर उनपर कार्रवाई की जा रही है।

16/03/2016

सरकार के उप सचिव,
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग,
झारखंड, रॉची।

झारखंड सरकार

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग।

ज्ञापांक :– 5/प्रशि0(वि0स0)–31/2016– 468 रॉची, दिनांक :– 16/03/16

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखंड विधान सभा को उनके पत्र सं0–2185 दिनांक–11.03.2016 के प्रसंग में 200 चक्रचालित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/03/2016

सरकार के उप सचिव,
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग,
झारखंड, रॉची।

219

श्री राधाकृष्ण किशोर, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–18.03.2016 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–43 का प्रश्नोत्तर

क्र०	प्रश्न	उत्तर
	श्री राधाकृष्ण किशोर, माननीय स०वि०स०	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सूधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य सुयोग्य श्रेणी के भूमिहीनों के बीच सीलिंग से प्राप्त अधिशेष भूमि का वितरण तथा गैरमजरूआ खास भूमि की बंदोबस्ती किया जाना राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कार्य एवं उद्देश्य में शामिल है ;	स्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खंड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बताएगी की विगत 03 वर्षों में उक्त श्रेणी के भूमिहिनों के बीच कितनी भूमि का वितरण अथवा बंदोबस्ती की गई है ?	विगत 03 वर्षों में राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य सुयोग्य श्रेणी के भूमिहीनों के बीच लगभग 1994.4825 एकड़ भूमि का वितरण अथवा बंदोबस्ती की गई है।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांकः– 7/ख0म0 वि0स0 (अ0सू0)–11/16.....1145.....(7)/रा0 दिनांक–...17-03-16

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–2039 वि0स0, दिनांक–05.03.2016 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय एवं विभागीय के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/3/16

सरकार के संयुक्त सचिव

219

श्री प्रदीप यादव, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक– 18-03-2016 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या –39 के संबंध में।

क्रं०	प्रश्नकर्त्ता– श्री प्रदीप यादव, स०वि०स०	उत्तरदाता– श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी मंत्री स्वा० चि० शि० एवं प० क० विभाग
1-	क्या यह बात सही है कि 2013 में Drug Inspector के 30 पदों पर हुई बहाली को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची WP (S) No- 1971/2014 में पारित आदेश द्वारा नियुक्त दिनांक–04-02-2016 सभी Drug Inspector का वेतन तत्काल प्रभाव से रोकने का निर्देश दिया गया है ;	स्वीकारात्मक।
2-	क्या यह बात सही है कि Drug Inspector की नियुक्ति में विभाग के गलत निर्णय के कारण योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने से वंचित रखने के कारण माननीय न्यायालय का उपरोक्त निर्णय आया है ;	अस्वीकारात्मक। योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने से वंचित नहीं किया गया क्योकि स्वास्थ्य विभाग द्वारा Drugs Inspector की नियुक्ति हेतु जे0पी0एस0सी0 को भेजी गयी अधियाचना में स्पष्ट उल्लेखित है कि नियुक्ति झारखण्ड राज्य औषधि नियंत्रण सेवा (भर्ती एवं अन्य सेवाशर्त्त) नियमावली 2011 के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में किया जाय। झारखण्ड राज्य औषधि नियंत्रण सेवा (भर्ती एवं अन्य सेवाशर्त्त) नियमावली 2011 की अध्याय– 3 कंडिका– 8 में Drugs Inspector की सीधी नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यताएँ/अर्हताएँ औषधि एंव अंगराग अधिनियम के विनिर्मित नियमावली 1945 के नियम– 49 मे यथाविहित योग्यता ही औषधि निरीक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता होगी। नियुक्तियॉ औषधि एवं अंगराग अधिनियम के विनिर्मित नियमावली 1945 के नियम– 49 के अन्तर्गत ही किया गया है।
3-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को लागू करते हुए सभी Drug Inspector एवं स्वास्थ्य विभाग के दोषी पदाधिकारियों को चिन्हित करते हुए उनके वेतन पर रोक लगाने एवं उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करने का विचार रखती है यदि, हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यो ?	माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड द्वारा दिनांक–04-02-2016 को पारित अंतरिम आदेश के अनुपालन में तत्काल सभी ड्रग इन्सपेक्टर्स का वेतन भुगतान रोक दिया गया है। इस मामले में सरकार की ओर से माननीय उच्च न्यायालय में I.A दायर करने की कार्रवाई की जा रही है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 16/ विधान सभा–07-01/16 - 30(16) राँची, दिनांक– 17/03/2016
प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०– 1989 दिनांक– 03-03-16 के क्रम में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/3/16
सरकार के अवर सचिव

Tiwari

220

श्री बिरंची नारायण, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–18.03.2016 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न सं0– अ.सू.–48 का प्रश्नोत्तर

प्रश्न	उत्तर
श्री बिरंची नारायण, माननीय स.वि.स.	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1. क्या यह बात सही है कि सिमडेगा के मौजा बकराटांगर, बीरू में 132KV पॉवरग्रीड निर्माण हेतु निजी रैयत श्री बृखभान अग्रवाल की 2.81 एकड़ विक्रयशील भूमि का अधिग्रहण, कोयलकारो जलविद्युत परियोजना के समय उपज के आधार पर अविक्रयशील भूमि के लिए निर्धारित दर, में 20 % समय के लिए वृद्धि करते हुए नगण्य दर पर अधिग्रहण कर लिया गया है एवं झारखण्ड विकलांग विकास सेवा केन्द्र, बीरू की 57000 रूपये में खरीदगी विक्रयशील 30 डिसमिल जमीन का अधिग्रहण भी उक्त आधार पर मात्र 19760 रूपये में, रैयतों के साथ बिना किसी पूर्व मीटिंग किये ही अधिग्रहण कर लिया गया है,	अस्वीकारात्मक। सिमडेगा जिले के सिमडेगा अंचल के मौजा बकराटांगर पंचायत बीरू में 132/33 के0वी0 ग्रीड सबस्टेशन निर्माण हेतु कुल 11.26 एकड़ भूमि अर्जन की कार्रवाई की गई है। जिसमें रैयत श्री वृजभान अग्रवाल एवं झारखण्ड विकलांग विकास सेवा केन्द्र की क्रमशः 2.81 एकड़ एवं 0.30 एकड़ भूमि सम्मिलित है। अधिनियम की धारा–4 एवं 6 के तहत कार्रवाई पूर्ण करते हुए धारा–9 के तहत सभी संबंधित हित संबद्ध रैयतों को सूचना निर्गत कर, उनके अर्जनाधीन भूमियों में स्वार्थ, क्षतिपूर्ति के दावे की रकम एवं दावे की प्रकृति के संबंध में स्वयं अथवा अभिकर्त्ता के द्वारा उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु निर्गत कर तामिला कराया गया है। तत्पश्चात प्रमण्डलीय आयुक्त दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची के पत्रांक–115, दिनांक–10.03.2005 के आलोक में अविक्रयशील जमीनों के उपज के आधार पर निर्धारित दर में 20 % की बढ़ोतरी करते हुए श्री वृजभान अग्रवाल की कुल भूमि 2.81 एकड़ एवं झारखण्ड विकलांग विकास सेवा केन्द्र बीरू की कुल भूमि 0.30 एकड़ का क्षतिपूर्ति राशि क्रमशः 208799.00 रू0 एवं 19760.00 का घोषित पंचाटित राशि का भुगतान आपत्ति के साथ प्राप्त किया गया है। परन्तु झारखण्ड विकलांग विकास सेवा केन्द्र बीरू द्वारा आपत्ति नहीं किया गया है।

2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त अधिग्रहण में हुई लापरवाही में सुधार करते हुए पुनः मुआवजा दर का निर्धारण करते हुए आपत्ति के साथ राशि स्वीकार करने वाले उक्त दो रैयतों को संशोधित दर पर मुआवजा राशि भुगतान करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	भू–अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–18 के तहत हित संबद्ध व्यक्ति/संबंधित रैयत द्वारा पंचाटित राशि से विक्षुब्ध होने की स्थिति में समाहर्त्ता को लिखित आवेदन द्वारा आधारों का उल्लेख करते हुए प्राधिकरण के अवधारण के लिए निर्दिष्ट किया जाय। परन्तु प्रासंगिक मामले में रैयतों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। अतः पंचाटित राशि में किसी प्रकार का बढ़ोतरी अथवा मुआवजा राशि में संशोधन किया जाना संभव नहीं है।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, राँची।

ज्ञापांक–08बी./भू.अ.नि. (वि.स.) अ.सू.–61/16 200 (08बी.)/रा., दिनांक–17-03-16

प्रतिलिपि :–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0–2180/वि.स., दिनांक–11.03.16 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय एवं विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

17/3/2016

सरकार के उप सचिव।